



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 856]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2009/ज्यैष्ठ 6, 1931

No. 856]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2009/JYAISTHA 6, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2009

का.आ. 1365(अ).—यतः केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत गुजरात राज्य के मुंद्रा में विशेष आर्थिक जोन अधिसूचित किए थे, अर्थात् :—

- (1) सं. का.आ. 936(अ) दिनांक 23 जून, 2006 (इस अधिसूचना के अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न)
- (2) सं. का.आ. 1071(अ) दिनांक 3 जुलाई, 2007 (इस अधिसूचना के अनुबंध 'ख' के रूप में संलग्न)
- (3) सं. का.आ. 2174(अ) दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 (इस अधिसूचना के अनुबंध 'ग' के रूप में संलग्न)
- (4) सं. का.आ. 2022(अ) दिनांक 11 अगस्त, 2008 (इस अधिसूचना के अनुबंध 'घ' के रूप में संलग्न)
- (5) सं. का.आ. 1079(अ) दिनांक 2 मई, 2008 (इस अधिसूचना के अनुबंध 'ङ' के रूप में संलग्न)
- (6) सं. का.आ. 742(अ) दिनांक 10 मई, 2007 (इस अधिसूचना के अनुबंध 'च' के रूप में संलग्न)

2. और यतः विकासकर्ता ने उक्त संयुक्त एस ई जेड में 258.2112 हेक्टेयर भूमि जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

3. और यतः केन्द्र सरकार ने मुंद्रा पोर्ट एण्ड स्पेशल इकोनोमिक जोन के संयुक्त अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन में आमेलित रूप में 258.2112 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि की अधिसूचना अनुमोदित की और ऐसे अनुमोदन की अधिसूचना 27 फरवरी, 2009 को दी गई थी।

4. और यतः केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न का.आ.सं. 936 (अ) दिनांक 23 जून, 2006; का.आ.सं. 1071 (अ) दिनांक 3 जुलाई, 2007; का.आ.सं. 2174 (अ) दिनांक 24 दिसम्बर, 2007; का.आ.सं. 2022 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2008; का.आ.सं. 1079(अ) दिनांक 2 मई 2008; का.आ.सं. 742 (अ) दिनांक 10 मई, 2007 द्वारा अधिसूचित समस्त विशेष आर्थिक जोनों को प्रशासनिक सुविधा के लिए और विकासकर्ताओं के अधिकारों, दायित्वों और वित्तीय लाभों को प्रभावित किए बिना समेकित करने का निर्णय लिया है।

5. अतः अब विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप धारा (1) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रथम पैराग्राफ में उल्लिखित अधिसूचना सं० का.आ.सं. 936 (अ) दिनांक 23 जून, 2006; का.आ.सं. 1071 (अ) दिनांक 3 जुलाई, 2007; का.आ.सं. 2174 (अ) दिनांक 24 दिसम्बर, 2007; का.आ.सं. 2022 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2008; का.आ.सं. 1079(अ) दिनांक 2 मई 2008; का.आ.सं. 742 (अ) दिनांक 10 मई, 2007 की अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए विलोपित कार्यों को छोड़कर, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाएं और अन्य संबंधित अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं, एतद्वारा प्रथम पैराग्राफ में उल्लिखित अधिसूचनाओं में वर्णित विशेष आर्थिक जोनों को समेकित करती है और गुजरात राज्य के मुंद्रा में पैराग्राफ 2 एवं 3 में उल्लिखित संयुक्त विशेष आर्थिक जोन में 258.2112 हेक्टेयर भूमि सहित निम्नलिखित क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में पुनः अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या तथा क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क्र.सं.	गाँव/क्षेत्र का नाम	तालुका	सर्वेक्षण सं०/विवरण	क्षेत्र हैक्ट. में
1	धुब्र	मुंद्रा	उत्तर: नवीनल क्रीक दक्षिण: जी एम बी जी ए पी एल भूमि पूर्व: जी एम वी - जी ए पी एल भूमि पश्चिम: 175 एकड़ भूमि	121-40-43
2.	धुब्र	मुंद्रा	उत्तर: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि एवं जी ए पी एल रोड दक्षिण: जी एम बी जी ए पी एल भूमि पूर्व: 300 एकड़ भूमि पश्चिम: 325 एकड़ भूमि	70-81-92

3	धुब्र	मुंद्रा	उत्तर: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि एवं जी ए पी एल रोड दक्षिण: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि पूर्व: जी ए पी एल रोड एवं 175 एकड़ भूमि पश्चिम: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि	131-52-13
4	नवीनल द्वीप भूमि	मुंद्रा	उत्तर: नवीनल क्रीक एवं जी एम बी - जी ए पी एल भूमि दक्षिण: कच्छ की खाड़ी पूर्व: जी ए पी एल रोड एवं 325 एकड़ ए सी एल भूमि पश्चिम: क्रीक एवं वन क्षेत्र	406-29-97
5	नवीनल द्वीप भूमि	हुंद्रा	उत्तर: वन भूमि दक्षिण: नवीनल क्रीक पूर्व: जी ए पी एल रोड पश्चिम: वन भूमि	80-93-62
6	मुंद्रा एवं पुरानी भारत नमक एवं रसायन लि० की भूमि	मुंद्रा	उत्तर: ध्रुव ग्राम की क्र० सं० 169 का ट्रेवर्स लैंड और - मुंद्रा ग्राम की क्र.सं. 141 का ट्रेवर्स लैंड दक्षिण: बोचा क्रीक एवं पुराना मुंद्रा पत्तन पश्चिम: नवीनल क्रीक एवं जी ए पी एल रोड	320-75-02
7	धुब्र	मुंद्रा	169	150-54-13
8	मुंद्रा	मुंद्रा	141 पार्ट, 141 पार्ट	71-44-64
9	बरोई	मुंद्रा	207, 207 पार्ट	39-87-12
10	गोवरसामा	मुंद्रा	27, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9 पार्ट, 34/9 पार्ट, 34/10, 34/11, 52/8, 52 पार्ट, 28/1, 52 पार्ट, 52 पार्ट (पुराना)	43-75-61
11	शेखादिया	मुंद्रा	81/1, 81/2, 120/1	04-04-68
12	लुनी	मुंद्रा	162, 163 पार्ट, 165/1, 165/2, 166, 167 पार्ट, 168, 169 पार्ट, 177/2, 235 पार्ट, 237/1, 237/2, 258, 238, 239/1 पार्ट, 243 पार्ट, 244, 245/2, 245/1, 246 पार्ट, 247 पार्ट, 248 पार्ट, 254/2 पार्ट, 256/1	183-68-47

			पार्ट, 257, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 274/2, 277 पार्ट, 278/1, 278/2, 279 पार्ट, 280, 281, 282, 342 पार्ट, 342 पार्ट, 236, 468 पार्ट, 468 पार्ट, 468 पार्ट	
13	वडाला	मुद्रा	120 पार्ट, 177/1, 177/2, 178, 179 पार्ट, 180/1, 180/2, 180/3, 181, 184, 185 पार्ट, 185 पार्ट, 186 पार्ट, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 195 पार्ट, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 198, 199 पार्ट, 200, 243/2, 244/2, 245/1 पार्ट, 245/1 पार्ट, 245/2, 251/2 पार्ट, 254, 255/1, 255/2 पार्ट, 256 पार्ट, 257, 258/1, 259, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262, 263/1 पार्ट, 264/1, 264/2, 264/3, 404, 405, 406/1 पार्ट, 406/2 पार्ट, 406/3, 406/4, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 425/3 पार्ट, 431 पार्ट, 432/1 पार्ट, 432/2, 432/3, 433, 434, 435 पार्ट, 446 पार्ट, 447, 448, 449/1, 449/2, 450 पार्ट, 465 पार्ट, 467 पार्ट, 468 पार्ट, 469 पार्ट, 470 पार्ट, 478 पार्ट, 526/1, 527 पार्ट, 528/1, 528/2, 529 पार्ट, 530, 533, 534 पार्ट, 376, 466 पार्ट, 472, 202, 466 पार्ट	138-02-66
14	पावादियारा	मुद्रा	10/1 पार्ट, 11, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1 पार्ट, 15, 16 पार्ट, 30, 32/1 पार्ट, 39 पार्ट, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44 पार्ट, 17 पार्ट, 29, 31/1, 31/2	26-22-33
15	भरुडिया	मुद्रा	168 पार्ट, 173/1, 173/2, 174 पार्ट, 176, 177 पार्ट, 210, 211 पार्ट, 212, 214, 217 पार्ट, 217 पार्ट, 178 पार्ट	27-01-25
16	भद्रेश्वर	मुद्रा	54 पार्ट, 55 पार्ट, 57, 60, 153/1, 154/2,	119-23-93

			63/1 पार्ट, 63/2 पार्ट, 82/1, 82/3, 84/1, 85/1 पार्ट, 85/2, 86/1, 89 पार्ट, 90, 96 पार्ट, 97 पार्ट, 98 पार्ट, 99, 102/1 पार्ट, 125/1, 151/2, 130/1, 131/1, 132/2, 132/3, 133, 134/2, 137/2 पार्ट, 137/3, 138, 139, 140, 152/1, 152/2, 153/2, 153/3, 153/4, 157/1, 157/3, 86/2, 88, 95, 100, 134/1(137/3), 137/1, 84/2, 130/3, 143/4, 144, 145, अनस वैक्षित भूमि 25 एकड़	
17	बीतावलाडिया (अत्तमनो वास)	अंजार	255 पार्ट, 260/1, 263, 264 पार्ट, 284/1 पार्ट, 284/2, 285 पार्ट, 289 पार्ट, 290, 291 पार्ट, 292/1, 292/2, 293/1 पार्ट, 294 पार्ट, 297/1 पार्ट, 295 पार्ट, 298/1, 298/2, 302 पार्ट, 304 पार्ट, 299 पार्ट, 300 पार्ट, 301, 306/1 पार्ट, 308 पार्ट, 309 पार्ट, 309 पार्ट, 312 पार्ट, 292/3, 345, 347, 334, 342, 346	61-24-85
18	बीतावलाडिया (उगमनोवास)	अंजार	5/1 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 11/1 पार्ट, 11/2 पार्ट, 11/3, 18/1 पार्ट, 18/2 पार्ट, 18/3, 19, 21, 22/2 पार्ट, 22/3, 22/4, 22/5, 23 पार्ट, 55 पार्ट, 184/1 पार्ट, 184/2 पार्ट, 186 पार्ट, 187/1 पार्ट, 220, 221 पार्ट, 222, 223 पार्ट, 224 पार्ट, 225 पार्ट, 225 पार्ट, 338, 401पार्ट, 401पार्ट, 7, 43, 220, 405 पार्ट, 20, अनस वैक्षित भूमि 10 एकड़	61-60-25
19	कुम्भरिया	अंजार	101 पार्ट, 102, 103, 104, 105 पार्ट, 112 पार्ट, 113, 114 पार्ट, 115, 116, 117, 118, 119, 120 पार्ट, 266 पार्ट, 123, 147, 148 पार्ट, 149 पार्ट, 157, 158, 159/1 पार्ट, 159/2 पार्ट, 160 पार्ट, 161 पार्ट, 162 पार्ट, 163 पार्ट, 164 पार्ट, 169 पार्ट, 171, 172, 174 पार्ट, 251.पार्ट, 252 पार्ट, 253 पार्ट, 254, 255, 256, 257, 258, 259	67-70-31

2008 GI/09-2

			पार्ट, 265 पार्ट, 267 पार्ट, 270 पार्ट, 268, 269, 271, 274 पार्ट, 275 पार्ट, 276 पार्ट, 152, 111, 136	
20	देवलिया	अंजार	4, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 45 पार्ट, 46 पार्ट, 47, 48, 49/1, 49/2, 335 पार्ट, 335 पार्ट, 338/1, 338/2, 338/3 पार्ट, 340 पार्ट, 341 पार्ट, 342/1, 342/2, 348/2 पार्ट, 384/2, 342/3, 343, 344, 346, 347, 348/1 पार्ट, 349, 350, 351, 352 पार्ट, 353 पार्ट, 354 पार्ट, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367 पार्ट, 369/2 पार्ट, 369/3, 370 पार्ट, 384/4 पार्ट, 387 पार्ट, 395/1 पार्ट, 397 पार्ट, 398, 399, 400, 403, 404 पार्ट, 405 पार्ट, 489 पार्ट, 401, 489 पार्ट	169-42-98
21	शिनोई	अंजार	514	3-37-91
22	अंजार-एस आई एम	अंजार	717/1 पार्ट, 717/2 पार्ट, 718 पार्ट, 723, 724, 725 पार्ट, 728, 734 पार्ट, 735 पार्ट, 736, 737 पार्ट, 738 पार्ट, 761, 762 पार्ट, 867, 868/1 पार्ट, 868/2, 869 पार्ट, 870 पार्ट, 872 पार्ट, 873 पार्ट, 874/1 पार्ट, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4 पार्ट, 984 पार्ट, 722/4, 727, 866, 984 पार्ट, 1026, 1058, 1005 पार्ट, 1024 पार्ट, 1025, 1026, 1027, 1010, 1005 पार्ट, 1024 पार्ट	89-14-11
23	मेघपार - कुंभडी	अंजार	43 पार्ट, 51/2, 52 पार्ट, 57/1 पार्ट, 63 पार्ट, 68 पार्ट, 69/1 पार्ट, 69/2 पार्ट, 70/1 पार्ट, 70/3 पार्ट, 122/2, 124/1 पार्ट, 124/2 पार्ट, 124/3 पार्ट, 124/4, 140/1 पार्ट, 140/2, 141 पार्ट, 142/4, 163 पार्ट	18-67-60

24	मुद्रा पत्तन (जी ए पी एल) पत्तन सीमा	-	निम्नलिखित वर्तमान अधिसूचनाओं के अनुसार:- (i) सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, गुजरात, अहमदाबाद द्वारा जारी दिनांक 23.09.1999 की सं. 17/99-सी सी. (ii) पत्तन एवं यातायात विभाग, गुजरात सरकार द्वारा जारी दिनांक 11.12.2008 की सं० पी/टी/2008/69/डब्ल्यू के एस/432007/जी/488/जी एच/1 (iii) सीमाशुल्क आयुक्त (नि.) का कार्यालय, जामनगर द्वारा जारी दिनांक 7 मार्च, 2003 की सं. 03/2003 (iv) सीमाशुल्क आयुक्त (नि.) के कार्यालय, जामनगर द्वारा जारी दिनांक 20 मई, 2003 की संख्या 09/2003	-
25.	मुद्रा	मुद्रा	141 पाइकी	251-43-08
26	मुद्रा	मुद्रा	141 पाइकी	74-61-45
27	ध्रुव	मुद्रा	169 भाग	105.01.93
28		मुद्रा	169 भाग	16.18.80
29		मुद्रा	169/पी1/पी1/पी3	14.16.41
30		मुद्रा	असर्वक्षित भूमि	28.93.61
31	जाखपारा	मुद्रा	689/7	41.92.69
32		मुद्रा	689/29	48.42.72
33		मुद्रा	689/30	24.31.16
34		मुद्रा	689/36	63.70.79
35		मुद्रा	689/47	21.04.38
36		मुद्रा	689/48	74.46.25

37		मुद्रा	689/49	70.51.68
38		मुद्रा	689/50	41.65.27
39		मुद्रा	689/52	16.19.08
40		मुद्रा	असर्वक्षित भूमि	271.90.81
41		मुद्रा	689/पी92/पी2/पी2	92.27.16
42	नवीनल	मुद्रा	55/1	01.22.42
43		मुद्रा	56/2	0.23.27
44		मुद्रा	64/1	0.98.14
45		मुद्रा	102/1	2.30.67
46		मुद्रा	102/2	1.11.29
47		मुद्रा	110/3	0.84.98
48		मुद्रा	115/3	1.02.18
49		मुद्रा	130	3.24.76
50		मुद्रा	223/भाग	134.29.94
51		मुद्रा	असर्वक्षित भूमि	65.22.74
52		मुद्रा	224 एवं 225 भाग	93.48.29
53	सिरवा	मुद्रा	120	2.12.46

54		मुद्रा	121/1	1.16.35
55		मुद्रा	121/3	1.04.21
56		मुद्रा	121/4	1.95.26
57		मुद्रा	125/1	1.74.02
58		मुद्रा	131	2.54.95
59		मुद्रा	295/ भाग	103.67.08
60		मुद्रा	124	1.86.16
61		मुद्रा	125/2	1.60.86
62		मुद्रा	126	2.22.58
63		मुद्रा	129	5.62.52
64		मुद्रा	135	2.60.01
65		मुद्रा	137	1.63.90
66		मुद्रा	138/1	3.65.23
67		मुद्रा	140	4.24.92
68		मुद्रा	141	2.24.60
69		मुद्रा	142	2.68.11
70		मुद्रा	143	4.14.81

2008 GI/09-3

71		मुद्रा	144/1	3.83.44
72		मुद्रा	144/2	1.39.62
73		मुद्रा	147	2.92.39
74		मुद्रा	असर्वेक्षित भूमि	66.32.22
75		मुद्रा	295/पी6/पी3	73.35.18
76	टुंडा	मुद्रा	180 भाग	77.52.50
77		मुद्रा	असर्वेक्षित भूमि	506.94.82
78	मुद्रा	मुद्रा	141 पाइकी	607-05-00
79	मुद्रा	मुद्रा	141 पाइकी	84-17-55
80	मुद्रा	मुद्रा	जी एम बी/जी ए पी एल भूमि (ओल्ड भारत साल्ट लैंड)	382-95-00
81	टुंडा	मुद्रा	180 पाइकी	231-60-98
82	सिराचा	मुद्रा	295/1 पाइकी	62-27-12
83	बरोई	मुद्रा	238 पी	20-23-50
84	बरोई	मुद्रा	207 पी	21-70-16
85	गोवरसमा	मुद्रा	52 पी	189-25-95
86	गोवरसमा	मुद्रा	53 पी	27-01-51
	कुल			6472.8684 हेक्टेयर

[फा. सं. 1/22/2009-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

अनुबंध 'क' अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ).

का.आ. 936(अ) विशेष आर्थिक जॉन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जॉन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और एक बहु उत्पाद विशेष आर्थिक जॉन की स्थापना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत गुजरात अदानी पोर्ट लिमिटेड को दिनांक 12 अप्रैल, 2006 को अनुमोदन-पत्र प्रदान किए जाने के बाद केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत दी गई अपेक्षाओं और अन्य अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, एतद्वारा गुजरात राज्य में स्थित मुंद्रा में विशेष आर्थिक जॉन के रूप में निम्नलिखित क्षेत्र को अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात:

तालिका

क्र.सं	गाँव/क्षेत्र का नाम	तालुका	सर्वेक्षण सं०/विवरण	क्षेत्र हेक्टर में
1	धुन्न	मुंद्रा	उत्तर: नवीनल क्रीक दक्षिण: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि पूर्व: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि पश्चिम: 175 एकड़ भूमि	121-40-43
2.	धुन्न	मुंद्रा	उत्तर: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि एवं जी ए पी एल रोड दक्षिण: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि पूर्व: 300 एकड़ भूमि पश्चिम: 325 एकड़ भूमि	70-81-92
3	धुन्न	मुंद्रा	उत्तर: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि एवं जी ए पी एल रोड दक्षिण: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि पूर्व: जी ए पी एल रोड एवं 175 एकड़ भूमि पश्चिम: जी एम बी - जी ए पी एल भूमि	131-52-13
4	नवीनल द्वीप भूमि	मुंद्रा	उत्तर: नवीनल क्रीक एवं जी एम बी - जी ए पी एल भूमि दक्षिण: कच्छ की खाड़ी पूर्व: जी ए पी एल रोड एवं 325 एकड़ ए सी एल भूमि पश्चिम: क्रीक एवं वन क्षेत्र	406-29-97

5	नवीनल द्वीप भूमि	हुंद्रा	उत्तर: वन भूमि दक्षिण: नवीनल क्रीक पूर्व: जी ए पी एल रोड पश्चिम: वन भूमि	80-93-62
6	मुंद्रा एवं पुरानी भारत नमक एवं रसायन लि० की भूमि	मुंद्रा	उत्तर: ध्रुव ग्राम की क्र० सं० 169 का ट्रेवर्स लैंड और - मुंद्रा ग्राम की क्र.सं. 141 का ट्रेवर्स लैंड दक्षिण: बोचा क्रीक एवं पुराना मुंद्रा पत्तन पश्चिम: नवीनल क्रीक एवं जी ए पी एल रोड	320-75-02
7	धुब	मुंद्रा	169	150-54-13
8	मुंद्रा	मुंद्रा	141 पार्ट, 141 पार्ट	71-44-64
9	बरोई	मुंद्रा	207, 207 पार्ट	39-87-12
10	गोवरसामा	मुंद्रा	27, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9 पार्ट, 34/9 पार्ट, 34/10, 34/11, 52/8, 52 पार्ट, 28/1, 52 पार्ट, 52 पार्ट (पुराना)	43-75-61
11	शेखादिया	मुंद्रा	81/1, 81/2, 120/1	04-04-68
12	लुनी	मुंद्रा	162, 163 पार्ट, 165/1, 165/2, 166, 167 पार्ट, 168, 169 पार्ट, 177/2, 235 पार्ट, 237/1, 237/2, 258, 238, 239/1 पार्ट, 243 पार्ट, 244, 245/2, 245/1, 246 पार्ट, 247 पार्ट, 248 पार्ट, 254/2 पार्ट, 256/1 पार्ट, 257, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 274/2, 277 पार्ट, 278/1, 278/2, 279 पार्ट, 280, 281, 282, 342 पार्ट, 342 पार्ट, 236, 468 पार्ट, 468 पार्ट, 468 पार्ट	183-68-47
13	वडाला	मुंद्रा	120 पार्ट, 177/1, 177/2, 178, 179 पार्ट, 180/1, 180/2, 180/3, 181, 184, 185 पार्ट, 185 पार्ट, 186 पार्ट, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 195 पार्ट, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 198,	138-02-66

			199 पार्ट, 200, 243/2, 244/2, 245/1 पार्ट, 245/1 पार्ट, 245/2, 251/2 पार्ट, 254, 255/1, 255/2 पार्ट, 256 पार्ट, 257, 258/1, 259, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262, 263/1 पार्ट, 264/1, 264/2, 264/3, 404, 405, 406/1 पार्ट, 406/2 पार्ट, 406/3, 406/4, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 425/3 पार्ट, 431 पार्ट, 432/1 पार्ट, 432/2, 432/3, 433, 434, 435 पार्ट, 446 पार्ट, 447, 448, 449/1, 449/2, 450 पार्ट, 465 पार्ट, 467 पार्ट, 468 पार्ट, 469 पार्ट, 470 पार्ट, 478 पार्ट, 526/1, 527 पार्ट, 528/1, 528/2, 529 पार्ट, 530, 533, 534 पार्ट, 376, 466 पार्ट, 472, 202, 466 पार्ट	
14	पावादियारा	मुंद्रा	10/1 पार्ट, 11, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1 पार्ट, 15, 16 पार्ट, 30, 32/1 पार्ट, 39 पार्ट, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44 पार्ट, 17 पार्ट, 29, 31/1, 31/2	26-22-33
15	भरुडिया	मुंद्रा	168 पार्ट, 173/1, 173/2, 174 पार्ट, 176, 177 पार्ट, 210, 211 पार्ट, 212, 214, 217 पार्ट, 217 पार्ट, 178 पार्ट	27-01-25
16	भद्रेस्वर	मुंद्रा	54 पार्ट, 55 पार्ट, 57, 60, 153/1, 154/2, 63/1 पार्ट, 63/2 पार्ट, 82/1, 82/3, 84/1, 85/1 पार्ट, 85/2, 86/1, 89 पार्ट, 90, 96 पार्ट, 97 पार्ट, 98 पार्ट, 99, 102/1 पार्ट, 125/1, 151/2, 130/1, 131/1, 132/2, 132/3, 133, 134/2, 137/2 पार्ट, 137/3, 138, 139, 140, 152/1, 152/2, 153/2, 153/3, 153/4, 157/1, 157/3, 86/2, 88, 95, 100, 134/1(137/3), 137/1, 84/2, 130/3, 143/4, 144, 145, अनस वैश्लित भूमि 25 एकड़	119-23-93
17	बीतावलाडिया (अतमनो)	अंजार	255 पार्ट, 260/1, 263, 264 पार्ट, 284/1	61-24-85

2008 GI/09-4

	वास)		पार्ट, 284/2, 285 पार्ट, 289 पार्ट, 290, 291 पार्ट, 292/1, 292/2, 293/1 पार्ट, 294 पार्ट, 297/1 पार्ट, 295 पार्ट, 298/1, 298/2, 302 पार्ट, 304 पार्ट, 299 पार्ट, 300 पार्ट, 301, 306/1 पार्ट, 308 पार्ट, 309 पार्ट, 309 पार्ट, 312 पार्ट, 292/3, 345, 347, 334, 342, 346	
18	बीतावलाडिया (उगमनोवास)	अंजार	5/1 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट, 9 पार्ट, 10 पार्ट, 11/1 पार्ट, 11/2 पार्ट, 11/3, 18/1 पार्ट, 18/2 पार्ट, 18/3, 19, 21, 22/2 पार्ट, 22/3, 22/4, 22/5, 23 पार्ट, 55 पार्ट, 184/1 पार्ट, 184/2 पार्ट, 186 पार्ट, 187/1 पार्ट, 220, 221 पार्ट, 222, 223 पार्ट, 224 पार्ट, 225 पार्ट, 225 पार्ट, 338, 401पार्ट, 401पार्ट, 7, 43, 220, 405 पार्ट, 20, अनस वंक्षित भूमि 10 एकड़	61-60-25
19	कुम्भरिया	अंजार	101 पार्ट, 102, 103, 104, 105 पार्ट, 112 पार्ट, 113, 114 पार्ट, 115, 116, 117, 118, 119, 120 पार्ट, 266 पार्ट, 123, 147, 148 पार्ट, 149 पार्ट, 157, 158, 159/1 पार्ट, 159/2 पार्ट, 160 पार्ट, 161 पार्ट, 162 पार्ट, 163 पार्ट, 164 पार्ट, 169 पार्ट, 171, 172, 174 पार्ट, 251 पार्ट, 252 पार्ट, 253 पार्ट, 254, 255, 256, 257, 258, 259 पार्ट, 265 पार्ट, 267 पार्ट, 270 पार्ट, 268, 269, 271, 274 पार्ट, 275 पार्ट, 276 पार्ट, 152, 111, 136	67-70-31
20	देवलिया	अंजार	4, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 45 पार्ट, 46 पार्ट, 47, 48, 49/1, 49/2, 335 पार्ट, 335 पार्ट, 338/1, 338/2, 338/3 पार्ट, 340 पार्ट, 341 पार्ट, 342/1, 342/2, 348/2 पार्ट, 384/2, 342/3, 343, 344, 346, 347, 348/1 पार्ट, 349, 350, 351, 352 पार्ट,	169-42-98

			353 पार्ट, 354 पार्ट, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367 पार्ट, 369/2 पार्ट, 369/3, 370 पार्ट, 384/4 पार्ट, 387 पार्ट, 395/1 पार्ट, 397 पार्ट, 398, 399, 400, 403, 404 पार्ट, 405 पार्ट, 489 पार्ट, 401, 489 पार्ट		
21	शिनोई	अंजार	514	3-37-91	
22	अंजार-एस आई एम	अंजार	717/1 पार्ट, 717/2 पार्ट, 718 पार्ट, 723, 724, 725 पार्ट, 728, 734 पार्ट, 735 पार्ट, 736, 737 पार्ट, 738 पार्ट, 761, 762 पार्ट, 867, 868/1 पार्ट, 868/2, 869 पार्ट, 870 पार्ट, 872 पार्ट, 873 पार्ट, 874/1 पार्ट, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4 पार्ट, 984 पार्ट, 722/4, 727, 866, 984 पार्ट, 1026, 1058, 1005 पार्ट, 1024 पार्ट, 1025, 1026, 1027, 1010, 1005 पार्ट, 1024 पार्ट		89-14-11
23	मेघपार - कुंभडी	अंजार	43 पार्ट, 51/2, 52 पार्ट, 57/1 पार्ट, 63 पार्ट, 68 पार्ट, 69/1 पार्ट, 69/2 पार्ट, 70/1 पार्ट, 70/3 पार्ट, 122/2, 124/1 पार्ट, 124/2 पार्ट, 124/3 पार्ट, 124/4, 140/1 पार्ट, 140/2, 141 पार्ट, 142/4, 163 पार्ट	18-67-60	
24	मुंद्रा पत्तन (जी ए पी एल) पत्तन सीमा		निम्नलिखित वर्तमान अधिसूचनाओं के अनुसार:- (i) सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, गुजरात, अहमदाबाद द्वारा जारी दिनांक 23.09.1999 की सं. 17/99-सी सी. (ii) पत्तन एवं मत्स्यन विभाग, गुजरात सरकार द्वारा जारी दिनांक 24.05.2002 की सं० जी/ पी एफ/1/2002/आई पी ए/1397/जी/760/जी एच (iii) सीमाशुल्क आयुक्त (नि.) का कार्यालय, जामनगर द्वारा जारी दिनांक 7 मार्च, 2003 की सं. 03/2003 (iv) सीमाशुल्क आयुक्त (नि.) के कार्यालय, जामनगर द्वारा जारी दिनांक 20 मई, 2003 की संख्या 09/2003		
			कुल क्षेत्र	2406-75-92 हेक्टेयर	

[फा. सं. 2/11/2003-ईपीजेड]

योगेन्द्र गर्ग, निदेशक

अनुबंध 'ख' अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ).

का.आ. 1071(अ).— यतः मै. गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड, जो गुजरात राज्य का एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में मुंदड़ा गांव, तालुका- मुंदड़ा में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था:

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त मुंदड़ा गांव के 2658.19 हेक्टेयर क्षेत्र में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 12 अप्रैल, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है:

और यतः केन्द्र सरकार ने इस बात से संतुष्ट होने के उपरांत कि अधिनियम 3 की धारा 3 की उप धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य में मुंदड़ा में कुल 2406-75-92 हेक्टेयर क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 23 जून, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 936(अ) द्वारा विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था:

और यतः मै. गुजरात अडानी पोर्ट लि. ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के अनुमोदन को मै. मुंदड़ा पोर्ट तथा विशेष आर्थिक जोन को अंतरित करने हेतु प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् इसे अनुमोदित कर दिया था और अंतरण के ऐसे अनुमोदन को 6 सितम्बर, 2006 को संसूचित कर दिया था:

अतः अब अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य में मुंदड़ा गांव, तालुका- मुंदड़ा में शेष 251-43-08 हेक्टेयर क्षेत्र को उस विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

क्र. सं.	गांव का नाम	तालिका	
		सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
	मुंदड़ा	141 पंकी	251-43-08

[फा. सं. 2/11/2003-ईपीजेड]

योगेन्द्र गर्ग, निदेशक

अनुबंध 'ग' अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ).

का.आ. 2174(अ).—यतः मै. गुजरात अदानी पोर्ट लि., जो गुजरात राज्य में एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य के मुंद्रा ग्राम, तालुका मुंद्रा में एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं और अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त मुंद्रा गाँव में 2658.19 हेक्टेयर क्षेत्र में बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और रखरखाव के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत दिनांक 12 अप्रैल, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं और अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया था, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य के मुंद्रा में 2406-75-92 हेक्टेयर और 251-43-08 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.आ.936(अ.) और 1071(अ.) क्रमशः दिनांक 23 जून, 2006 और 3 जुलाई, 2007 द्वारा विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है;

और यतः मै. गुजरात अदानी पोर्ट लि. ने विशेष आर्थिक जोन हेतु उक्त अनुमोदन को मै. मुंद्रा पोर्ट एवं विशेष आर्थिक जोन को अंतरित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त अंतरण प्रस्ताव पर विचार करने के बाद उसे अनुमोदित किया और ऐसे प्रस्ताव के अंतरण की सूचना 6 सितम्बर, 2006 को प्रदान की;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप धारा (1) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल किए जाने के लिए गुजरात राज्य के मुंद्रा ग्राम, तालुका- मुंद्रा में 74.6145 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुंद्रा	141 पड़क्की	74-61-45

[फा. सं. 2/11/2003-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

2008 GI/09-5

अनुबंध 'घ' अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ).

का.आ. 2022 (अ.) यतः मै० गुजरात अडानी पोर्ट लि०, जो गुजरात राज्य में एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य के मूंदरा ग्राम, तालुका-मूंदरा में बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने 12 अप्रैल, 2006 को उक्त मूंदरा ग्राम क्षेत्र में 2658.19 हेक्टेयर क्षेत्र में बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (10) के अंतर्गत अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

और यतः केन्द्र सरकार ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं और अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के मूंदरा में विशेष आर्थिक जोन के रूप में का.आ. 936 (अ) द्वारा 23 जून 2006 को 2406-75-92 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को तथा का.आ. 1071(अ) द्वारा 3 जुलाई 2007 को 251-43-08 हेक्टेयर के शेष क्षेत्र को तथा का.आ. 2174(अ) द्वारा 24 सितम्बर, 2007 को 174-61-45 के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित किया है;

और यतः मै० गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के अनुमोदन का अंतरण मै० मूंदरा पोर्ट तथा विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड को करने का प्रस्ताव किया है तथा केन्द्र सरकार ने उक्त अंतरण प्रस्ताव पर विचार करने के बाद उसे अनुमोदित कर अनुमोदन के ऐसे अंतरण की सूचना 6 सितम्बर 2006 को प्रदान की थी;

और यतः विलय हेतु गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 24 नवम्बर, 2006 के आदेश के परिणामस्वरूप मूंदरा एस ई जेड लि० के नाम पर प्रदत्त सभी अनुमोदन मूंदरा पोर्ट तथा विशेष आर्थिक जोन लि० को अंतरित हो जाएंगे और केन्द्र सरकार ने अनुमोदन के ऐसे अंतरण की सूचना 14 नवम्बर 2007 को प्रदान की;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से सहमत है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं एवं अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

और यतः केन्द्र सरकार ने मूंदरा पोर्ट तथा विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड के अधिसूचित किए गए बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन में 1850-56-65 हेक्टेयर तथा 263-22-97 हेक्टेयर तथा 263-22-97 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अनुमोदित की है और ऐसे अनुमोदन के विषय में क्रमशः 13 मार्च 2008 तथा 21 मई 2008 को सूचित किया है;

अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विशेष आर्थिक जोन नियमावली के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तालुका मूंदरा, गुजरात राज्य में 2113-79-62 के अतिरिक्त क्षेत्र को अधिसूचित करती है जिसमें विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या तथा क्षेत्र शामिल होंगे, अर्थात्;

तालिका

क्र.सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धुव	169 भाग	105.01.93
2.		169 भाग	16.18.80
3.		169/पी1/पी1/पी3	14.16.41
4.		असर्वेक्षित भूमि	28.93.61
5.	जारपास	689/7	41.92.69
6.		689/29	48.42.72
7.		689/30	24.31.16
8.		689/36	63.70.79
9.		689/47	21.04.38
10.		689/48	74.46.25
11.		689/49	70.51.68

12.		689/50	41.65.27
13.		689/52	16.19.08
14.		असर्वक्षित भूमि	271.90.81
15.		689/पी92/पी2/पी2	92.27.16
16.	नवीनल	55/1	01.22.42
17.		56/2	0.23.27
18.		64/1	0.98.14
19.		102/1	2.30.67
20.		102/2	1.11.29
21.		110/3	0.84.98
22.		115/3	01.02.18
23.		130	3.24.76
24.		223/भाग	134.29.94
25.		असर्वक्षित भूमि	65.22.74
26.		224 एवं 225 भाग	93.48.29
27.	सिरचा	120	2.12.46
28.		121/1	1.16.35
29.		121/3	1.04.21
30.		121/4	1.95.26
31.		125/1	1.74.02

32.		131	2.54.95
33.		295/ भाग	103.67.08
34.		124	1.86.16
35.		125/2	1.60.86
36.		126	2.22.58
37.		129	5.62.52
38.		135	2.60.01
39.		137	1.63.90
40.		138/1	3.65.23
41.		140	4.24.92
42.		141	2.24.60
43.		142	2.68.11
44.		143	4.14.81
45.		144/1	3.83.44
46.		144/2	1.39.62
47.		147	2.92.39
48.		असर्वक्षित भूमि	66.32.22
49.		295/पी6/पी3	73.35.18
50.	दुडा	180 भाग	77.52.50
51.		असर्वक्षित भूमि	506.94.82

कुल:

2113-79-62 हेक्टेयर

[फा. सं. 2/11/2003-ईपीजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

अनुबंध 'ड' अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ).

का.आ. 1079(अ).—यतः, मै. मुद्रा पोर्ट एण्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लि., जो गुजरात राज्य में एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में मुद्रा गांव, मुद्रा तालुक, कच्छ जिले में बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त मुद्रा गाँव क्षेत्र में बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा, गुजरात राज्य में मुद्रा गाँव, मुद्रा तालुक, कच्छ जिले में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुद्रा	141 पैकी	607-05-00
2.		141 पैकी	84-17-55
3.		जीएमबी/जीएपीएल लैंड (ओल्ड भारत सॉल्ट लैंड)	382-95-00
योग			1074-17-55

[फा. सं. 1/144/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

अनुबंध 'च' अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ).

का.आ. 742 (अ.) यतः मै0 अदानी पावर प्रा0 लि0, जो गुजरात राज्य का एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में गांव टुंडा एवं सिरचा, तालुका मुंद्रा, जिला कच्छ में गुजरात में विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) तथा निर्यातान्मुख इकाइयों (ई ओ यू) तथा अन्य एस ई जेड, ई ओ यू तथा अन्य को बिजली की आपूर्ति करने के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त टुंडा एवं सिरचा गांव क्षेत्र में गुजरात में एस ई जेड, ई ओ यू तथा अन्य एस ई जेड, ई ओ यू को बिजली की आपूर्ति करने के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं अनुस्क्षण हेतु अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (10) के अंतर्गत 19 दिसम्बर, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा गुजरात राज्य में गांव टुंडा एवं सिरचा, तालुका मुंद्रा, जिला कच्छ में गुजरात में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :

तालिका

क्र.सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	टुंडा	180/पैकी	231-60-98
2	सिरचा	295/1 पैकी	62-27-12
		कुल	293-88-10 हेक्टेयर

[फा. सं. 2/487/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2009

S.O. 1365(E).—Whereas, the Central Government had notified the Special Economic Zones at Mundra in the State of Gujarat under the following notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Ministry of Commerce), namely:-

- (1) S.O. number 936(E) dated 23rd June, 2006 (annexed as Annexure A to this notification);
- (2) S.O. number 1071(E) dated 3rd July, 2007 (annexed as Annexure B to this notification);
- (3) S.O. number 2174(E) dated 24th December, 2007 (annexed as Annexure C to this notification);
- (4) S.O. number 2022 (E) dated 11th August, 2008 (annexed as Annexure D to this notification);
- (5) S.O. number 1079(E) dated 2nd May, 2008 (annexed as Annexure E to this notification);
- (6) S.O. number 742(E) dated 10th May, 2007 (annexed as Annexure F to this notification);

2. And whereas, the developer has proposed to add 258.2112 hectares of land to the composite SEZ;

3. And whereas, Central Government approved the notification of additional land of 258.2112 hectares in the merged form in the composite notified Special Economic Zone of Mundra Port and Special Economic Zone Limited and conveyed such approval on the 27th day of February, 2009;

4. And whereas, the Central Government has decided to consolidate all the Special Economic Zones notified vide S.O. number 936(E) dated 23rd June, 2006; S.O. number 1071(E) dated 3rd July, 2007; S.O. number 2174(E) dated 24th December, 2007; S.O. number 2022(E) dated 11th August, 2008; S.O. number 1079(E) dated 2nd May, 2008; S.O. number 742(E) dated 10th May, 2007 referred in preceding paragraphs and annexed to this notifications for administrative convenience and without affecting rights, obligations and fiscal benefits of the Developer(s) ;

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, and in supersession of notification number S.O. 936(E) dated 23rd June, 2006; S.O. number 1071(E) dated 3rd July, 2007; S.O. number 2174(E) dated 24th December, 2007; S.O. number 2022(E) dated 11th August, 2008; S.O. number 1079(E) dated 2nd May, 2008; S.O. number 742(E) dated 10th May, 2007, referred to in the first paragraph, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled, hereby consolidates the Special Economic Zones mentioned in the notifications referred to in the first paragraph, and re-notifies the following areas including 258.2112 hectares land to the composite Special Economic Zone referred to in Paragraphs 2 & 3 above at Mundra in the state of Gujarat, comprising the survey numbers and the area given in the Table below, as a Special Economic Zone, namely:-

TABLE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
S. No	Name of Village/Area	Taluka	Survey No./Details	Area in Hectares
1	Dhrub	Mundra	North: Navinal Creek South : GMB-GAPL land East: GMB-GAPL land West: 175 acre Land	121-40-43
2	Dhrub	Mundra	North : GMB - GAPL Land and GAPL Road South :GMB - GAPL Land	70-81-92

2008 GI/09-7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			East: 300 Acre Land West: 325 Acre Land	
3	Dhrub	Mundra	North :GMB - GAPL Land and GAPL Road South :GMB - GAPL Land East: GAPL Road and 175 Acre Land West: GMB - GAPL Land	131-52-13
4	Navinal Island Land	Mundra	North : Navinal Creek and GMB-GAPL land South : Gulf of Kutch East : GAPL road and 325 acres ACL land West : Creek and Forest Area	406-29-97
5	Navinal Island Land	Mundra	North : Forest Land South : Navinal Creek East : GAPL Road West : Forest Land	80-93-62
6	Mundra and Old Bharat Salt and Chemical Ltd. Land	Mundra	North: Traverse Land S.No. 169 of Village - Dhrub and Traverse land S. No. 141 of Village - Mundra South: Bocha Creek & Old Mundra Port East: Old Mundra Port Road West: Navinal Creek and GAPL Road	320-75-02
7	Dhrub	Mundra	169	150-54-13

8	Mundra	Mundra	141 part, 141 Part	71-44-64
9	Baroi	Mundra	207, 207 Part	39-87-12
10	Govarsama	Mundra	27, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9 Part, 34/9 Part, 34/10, 34/11, 52/8, 52 Part, 28/1, 52 Part, 52 Part (old)	43-75-61
11	Shekhadiya	Mundra	81/1, 81/2, 120/1	04-04-68
12	Luni	Mundra	162, 163 Part, 165/1, 165/2, 166, 167 Part, 168, 169 Part, 177/2, 235 Part, 237/1, 237/2, 258, 238, 239/1 Part, 243 Part, 244, 245/2, 245/1, 246 Part, 247 Part, 248 Part, 254/2 Part, 256/1 Part, 257, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 274/2, 277 Part, 278/1, 278/2, 279 Part, 280, 281, 282, 342 Part, 342 Part, 236, 468 Part, 468 Part, 468 Part	183-68-47
13	Vadala	Mundra	120 Part, 177/1, 177/2, 178, 179 Part, 180/1, 180/2, 180/3, 181, 184, 185 Part, 185 Part, 186 Part, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 195 Part, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 198, 199 Part, 200, 243/2, 244/2, 245/1 Part, 245/1 Part, 245/2, 251/2 Part, 254, 255/1, 255/2 Part, 256 Part, 257, 258/1, 259, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262, 263/1 Part, 264/1, 264/2, 264/3, 404, 405, 406/1 Part, 406/2 Part, 406/3, 406/4,	138-02-66

			423/2, 424, 425/1, 425/2, 425/3 Part, 431 Part, 432/1 Part, 432/2, 432/3, 433, 434, 435 Part, 446 Part, 447, 448, 449/1, 449/2, 450 Part, 465 Part, 467 Part, 468 Part, 469 Part, 470 Part, 478 Part, 526/1, 527 Part, 528/1, 528/2, 529 Part, 530, 533, 534 Part, 376, 466 Part, 472, 202, 466 Part	
14	Pavadiyara	Mundra	10/1 Part, 11, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1 Part, 15, 16 Part, 30, 32/1 Part, 39 Part, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44 Part, 17 Part, 29, 31/1, 31/2	26-22-33
15	Bharudia	Mundra	168 Part, 173/1, 173/2, 174 Part, 176, 177 Part, 210, 211 Part, 212, 214, 217 Part, 217 Part, 178 Part	27-01-25
16	Bhadreshwar	Mundra	54 Part, 55 Part, 57, 60, 153/1, 154/2, 63/1 Part, 63/2 Part, 82/1, 82/3, 84/1, 85/1 Part, 85/2, 86/1, 89 Part, 90, 96 Part, 97 Part, 98 Part, 99, 102/1 Part, 125/1, 151/2, 130/1, 131/1, 132/2, 132/3, 133, 134/2, 137/2 Part, 137/3, 138, 139, 140, 152/1, 152/2, 153/2, 153/3, 153/4, 157/1, 157/3, 86/2, 88, 95, 100, 134/1(137/3), 137/1, 84/2, 130/3, 143/4, 144, 145, Unsurveyed Land of 25 acres	119-23-93
17	Bitawaladia (Athamnawa)	Anjar	255 Part, 260/1, 263, 264 Part, 284/1 Part, 284/2, 285 Part, 289	61-24-85

	s)		Part, 290, 291 Part, 292/1, 292/2, 293/1 Part, 294 Part, 297/1 Part, 295 Part, 298/1, 298/2, 302 Part, 304 Part, 299 Part, 300 Part, 301, 306/1 Part, 308 Part, 309 Part, 309 Part, 312 Part, 292/3, 345, 347, 334, 342, 346	
18	Bitawaladia (Ugamanowas)	Anjar	5/1 Part, 6 Part, 8 Part, 9 Part, 9 Part, 10 Part, 11/1 Part, 11/2 Part, 11/3, 18/1 Part, 18/2 Part, 18/3, 19, 21, 22/2 Part, 22/3, 22/4, 22/5, 23 Part, 55 Part, 184/1 Part, 184/2 Part, 186 Part, 187/1 Part, 220, 221 Part, 222, 223 Part, 224 Part, 225 Part, 225 Part, 338, 401 Part, 401 Part, 7, 43, 220, 405 Part, 20, Unsurveyed land of 10 acres	61-60-25
19	Kumbharia	Anjar	101 Part, 102, 103, 104, 105 Part, 112 Part, 113, 114 Part, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Part, 266 Part, 123, 147, 148 Part, 149 Part, 157, 158, 159/1 Part, 159/2 Part, 160 Part, 161 Part, 162 Part, 163 Part, 164 Part, 169 Part, 171, 172, 174 Part, 251 Part, 252 Part, 253 Part, 254, 255, 256, 257, 258, 259 Part, 265 Part, 267 Part, 270 Part, 268, 269, 271, 274 Part, 275 Part, 276 Part, 152, 111, 136	67-70-31
20	Devalia	Anjar	4, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 45 Part, 46 Part, 47, 48, 49/1, 49/2, 335 Part, 335 Part, 338/1,	169-42-98

2008 GI/09-8

			338/2, 338/3 Part, 340 Part, 341 Part, 342/1, 342/2, 348/2 Part, 384/2, 342/3, 343, 344, 346, 347, 348/1 Part, 349, 350, 351, 352 Part, 353 Part, 354 Part, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367 Part, 369/2 Part, 369/3, 370 Part, 384/4 Part, 387 Part, 395/1 Part, 397 Part, 398, 399, 400, 403, 404 Part, 405 Part, 489 Part, 401, 489 Part	
21	Shynoi	Anjar	514	3-37-91
22	Anjar SIM	Anjar	717/1 Part, 717/2 Part, 718 Part, 723, 724, 725 Part, 728, 734 Part, 735 Part, 736, 737 Part, 738 Part, 761, 762 Part, 867, 868/1 Part, 868/2, 869 Part, 870 Part, 872 Part, 873 Part, 874/1 Part, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4 Part, 984 Part, 722/4, 727, 866, 984 Part, 1026, 1058, 1005 Part, 1024 Part, 1025, 1026, 1027, 1010, 1005 Part, 1024 Part	89-14-11
23	Meghpar - Kumbhardi	Anjar	43 Part, 51/2, 52 Part, 57/1 Part, 63 Part, 68 Part, 69/1 Part, 69/2 Part, 70/1 Part, 70/3 Part, 122/2, 124/1 Part, 124/2 Part, 124/3 Part, 124/4, 140/1 Part, 140/2, 141 Part, 142/4, 163 Part	18-67-60
24	Mundra Port (GAPL) Port Limits	-	As per following existing notifications: (i) No. 17/99-CC dated 23-09-1999 issued by the Office of the	-

			<p>Commissioner of Customs, Gujarat, Ahmedabad</p> <p>(ii) No. PT/2008/69/WKS/432007/G/488/ GH/1 dated 11-12-2008 issued by Ports and Transport Department, Government of Gujarat.</p> <p>(iii) No. 03/2003 dated 7th March 2003 issued by the Office of the Commissioner of Customs (Prev.), Jamnagar.</p> <p>(iv) No.09/2003 dated 20th May 2003 issued by the Office of the Commissioner of Customs (Prev.), Jamnagar.</p>	
25	Mundra	Mundra	141 Paiki	251-43-08
26	Mundra	Mundra	141 Paiki	74-61-45
27	Dhrub	Mundra	169 Part	105-01-93
28	Dhrub	Mundra	169 Part	16-18-80
29	Dhrub	Mundra	169/P51/P1/P3	14-16-41
30	Dhrub	Mundra	Unsurveyed Land	28-93-61
31	Zarpara	Mundra	689/7	41-92-69
32	Zarpara	Mundra	689/29	48-42-72
33	Zarpara	Mundra	689/30	24-31-16
34	Zarpara	Mundra	689/36	63-70-79
35	Zarpara	Mundra	689/47	21-04-38

36	Zarpara	Mundra	689/48	74-46-25
37	Zarpara	Mundra	689/49	70-51-68
38	Zarpara	Mundra	689/50	41-65-27
39	Zarpara	Mundra	689/52	16-19-08
40	Zarpara	Mundra	Unsurveyed Land	271-90-81
41	Zarpara	Mundra	689/P92/P2/P2	92-27-16
42	Navinal	Mundra	55/1	1-22-42
43	Navinal	Mundra	56/2	0-23-27
44	Navinal	Mundra	64/1	0-98-14
45	Navinal	Mundra	102/1	2-30-67
46	Navinal	Mundra	102/2	1-11-29
47	Navinal	Mundra	110/3	0-84-98
48	Navinal	Mundra	115/3	1-02-18
49	Navinal	Mundra	130	3-24-76
50	Navinal	Mundra	223/part	134-29-94
51	Navinal	Mundra	Unsurveyed Land	65-22-74
52	Navinal	Mundra	224 & 225 Part	93-48-29
53	Siracha	Mundra	120	2-12-46
54	Siracha	Mundra	121/1	1-16-35
55	Siracha	Mundra	121/3	1-04-21

56	Siracha	Mundra	121/4	1-95-26
57	Siracha	Mundra	125/1	1-74-02
58	Siracha	Mundra	131	2-54-95
59	Siracha	Mundra	295 Part	103-67-08
60	Siracha	Mundra	124	1-86-16
61	Siracha	Mundra	125/2	1-60-86
62	Siracha	Mundra	126	2-22-58
63	Siracha	Mundra	129	5-62-52
64	Siracha	Mundra	135	2-60-01
65	Siracha	Mundra	137	1-63-90
66	Siracha	Mundra	138/1	3-65-23
67	Siracha	Mundra	140	4-24-92
68	Siracha	Mundra	141	2-24-60
69	Siracha	Mundra	142	2-68-11
70	Siracha	Mundra	143	4-14-81
71	Siracha	Mundra	144/1	3-83-44
72	Siracha	Mundra	144/2	1-39-62
73	Siracha	Mundra	147	2-92-39
74	Siracha	Mundra	Unsurveyed Land	66-32-22
75	Siracha	Mundra	295/P6/P3	73-35-18

2008-4/105-9

76	Tunda	Mundra	180/P	77-52-50
77	Tunda	Mundra	Unsurveyed Land	506-94-82
78	Mundra	Mundra	141 Paiki	607-05-00
79	Mundra	Mundra	141 Paiki	84-17-55
80	Mundra	Mundra	GMB/GAPL Land (Old Bharat Salt Land)	382-95-00
81	Tunda	Mundra	180 Paiki	231-60-98
82	Siracha	Mundra	295/1 Paiki	62-27-12
83	Baroi	Mundra	238 P	20-23-50
84	Baroi	Mundra	207 P	21-70-16
85	Govarsama	Mundra	52 P	189-25-95
86	Govarsama	Mundra	53 P	27-01-51
	Total			6472.8684 Ha

[F. No. 1/22/2009-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

ANNEXURE 'A' TO THE NOTIFICATION S.O. NO. 1365(E)

S.O. 936(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005) read with rule 8 the Special Economic Zone Rules, 2006, and after grant of the letter of approval on the 12th April, 2006, under sub-section (10) of section 3 of the said Act, to the Gujarat Adani Port Limited for setting up of a multi product Special Economic Zone, the Central Government, on being satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled, hereby notifies the following area at Mundra in the State of Gujarat, comprising the survey numbers and the area given in the Table below, as a Special Economic Zone, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Village/Area	Taluka	Survey No./Details	Area in Hectares
1	Dhrub	Mundra	North : Navinal Creek South : GMB-GAPL land East: GMB-GAPL land West: 175 acre Land	121-40-43
2.	Dhrub	Mundra	North :GMB - GAPL Land and GAPL Road	70-81-92

			South :GMB - GAPL Land East: 300 Acre Land West: 325 Acre Land	
3	Dhrub	Mundra	North :GMB - GAPL Land and GAPL Road South :GMB - GAPL Land East: GAPL Road and 175 Acre Land West: GMB - GAPL Land	131-52-13
4	Navinal Island Land	Mundra	North : Navinal Creek and GMB-GAPL land South : Gulf of Kutch East : GAPL road and 325 acres ACL land West : Creek and Forest Area	406-29-97
5	Navinal Island Land	Mundra	North : Forest Land South : Navinal Creek East : GAPL Road West : Forest Land	80-93-62
6	Mundra and Old Bharat Salt and Chemical Ltd. Land	Mundra	North: Traverse Land S.No. 169 of Village - Dhrub and Traverse land S. No. 141 of Village - Mundra South: Bocha Creek & Old Mundra Port East: Old Mundra Port Road West: Navinal Creek and GAPL Road	320-75-02
7	Dhrub	Mundra	169	150-54-13
8	Mundra	Mundra	141 part, 141 Part	71-44-64
9	Baroi	Mundra	207, 207 Part	39-87-12

10	Govarsama	Mundra	27, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9 Part, 34/9 Part, 34/10, 34/11, 52/8, 52 Part, 28/1, 52 Part, 52 Part (old)	43-75-61
11	Shekhadiya	Mundra	81/1, 81/2, 120/1	04-04-68
12	Luni	Mundra	162, 163 Part, 165/1, 165/2, 166, 167 Part, 168, 169 Part, 177/2, 235 Part, 237/1, 237/2, 258, 238, 239/1 Part, 243 Part, 244, 245/2, 245/1, 246 Part, 247 Part, 248 Part, 254/2 Part, 256/1 Part, 257, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 274/2, 277 Part, 278/1, 278/2, 279 Part, 280, 281, 282, 342 Part, 342 Part, 236, 468 Part, 468 Part, 468 Part	183-68-47
13	Vadala	Mundra	120 Part, 177/1, 177/2, 178, 179 Part, 180/1, 180/2, 180/3, 181, 184, 185 Part, 185 Part, 186 Part, 187, 188/1, 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 191, 192, 193, 195 Part, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 198, 199 Part, 200, 243/2, 244/2, 245/1 Part, 245/1 Part, 245/2, 251/2 Part, 254, 255/1, 255/2 Part, 256 Part, 257, 258/1, 259, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 262, 263/1 Part, 264/1, 264/2, 264/3, 404, 405, 406/1 Part, 406/2 Part, 406/3, 406/4, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 425/3 Part, 431 Part, 432/1 Part, 432/2, 432/3, 433, 434, 435 Part, 446 Part, 447, 448, 449/1, 449/2, 450 Part, 465 Part, 467 Part, 468 Part, 469 Part, 470 Part, 478 Part, 526/1, 527 Part, 528/1, 528/2, 529 Part, 530, 533, 534 Part, 376, 466 Part, 472, 202, 466 Part	138-02-66
14	Pavadiyara	Mundra	10/1 Part, 11, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1 Part, 15, 16 Part, 30, 32/1 Part, 39 Part, 41, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44 Part, 17 Part, 29, 31/1, 31/2	26-22-33

2008 47/05-10

15	Bharudia	Mundra	168 Part, 173/1, 173/2, 174 Part, 176, 177 Part, 210, 211 Part, 212, 214, 217 Part, 217 Part, 178 Part	27-01-25
16	Bhadreshwar	Mundra	54 Part, 55 Part, 57, 60, 153/1, 154/2, 63/1 Part, 63/2 Part, 82/1, 82/3, 84/1, 85/1 Part, 85/2, 86/1, 89 Part, 90, 96 Part, 97 Part, 98 Part, 99, 102/1 Part, 125/1, 151/2, 130/1, 131/1, 132/2, 132/3, 133, 134/2, 137/2 Part, 137/3, 138, 139, 140, 152/1, 152/2, 153/2, 153/3, 153/4, 157/1, 157/3, 86/2, 88, 95, 100, 134/1(137/3), 137/1, 84/2, 130/3, 143/4, 144, 145, Unsurveyed Land of 25 acres	119-23-93
17	Bitawaladia (Athamnowas)	Anjar	255 Part, 260/1, 263, 264 Part, 284/1 Part, 284/2, 285 Part, 289 Part, 290, 291 Part, 292/1, 292/2, 293/1 Part, 294 Part, 297/1 Part, 295 Part, 298/1, 298/2, 302 Part, 304 Part, 299 Part, 300 Part, 301, 306/1 Part, 308 Part, 309 Part, 309 Part, 312 Part, 292/3, 345, 347, 334, 342, 346	61-24-85
18	Bitawaladia (Ugamanowas)	Anjar	5/1 Part, 6 Part, 8 Part, 9 Part, 9 Part, 10 Part, 11/1 Part, 11/2 Part, 11/3, 18/1 Part, 18/2 Part, 18/3, 19, 21, 22/2 Part, 22/3, 22/4, 22/5, 23 Part, 55 Part, 184/1 Part, 184/2 Part, 186 Part, 187/1 Part, 220, 221 Part, 222, 223 Part, 224 Part, 225 Part, 225 Part, 338, 401Part, 401Part, 7, 43, 220, 405 Part, 20, Unsurveyed land of 10 acres	61-60-25
19	Kumbharia	Anjar	101 Part, 102, 103, 104, 105 Part, 112 Part, 113, 114 Part, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Part, 266 Part, 123, 147, 148 Part, 149 Part, 157, 158, 159/1 Part, 159/2 Part, 160 Part, 161 Part, 162 Part, 163 Part, 164 Part, 169 Part, 171, 172, 174 Part, 251 Part, 252 Part, 253 Part, 254, 255, 256, 257, 258, 259 Part, 265 Part, 267 Part, 270 Part, 268, 269, 271,	67-70-31

			274 Part, 275 Part, 276 Part, 152, 111, 136	
20	Devalia	Anjar	4, 8/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 45 Part, 46 Part, 47, 48, 49/1, 49/2, 335 Part, 335 Part, 338/1, 338/2, 338/3 Part, 340 Part, 341 Part, 342/1, 342/2, 348/2 Part, 384/2, 342/3, 343, 344, 346, 347, 348/1 Part, 349, 350, 351, 352 Part, 353 Part, 354 Part, 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367 Part, 369/2 Part, 369/3, 370 Part, 384/4 Part, 387 Part, 395/1 Part, 397 Part, 398, 399, 400, 403, 404 Part, 405 Part, 489 Part, 401, 489 Part	169-42-98
21	Shynoi	Anjar	514	3-37-91
22	Anjar SIM	Anjar	717/1 Part, 717/2 Part, 718 Part, 723, 724, 725 Part, 728, 734 Part, 735 Part, 736, 737 Part, 738 Part, 761, 762 Part, 867, 868/1 Part, 868/2, 869 Part, 870 Part, 872 Part, 873 Part, 874/1 Part, 875/1, 875/2, 875/3, 875/4 Part, 984 Part, 722/4, 727, 866, 984 Part, 1026, 1058, 1005 Part, 1024 Part, 1025, 1026, 1027, 1010, 1005 Part, 1024 Part	89-14-11
23	Meghpar - Kumbhardi	Anjar	43 Part, 51/2, 52 Part, 57/1 Part, 63 Part, 68 Part, 69/1 Part, 69/2 Part, 70/1 Part, 70/3 Part, 122/2, 124/1 Part, 124/2 Part, 124/3 Part, 124/4, 140/1 Part, 140/2, 141 Part, 142/4, 163 Part	18-67-60
24	Mundra Port (GAPL) Port Limits		As per following existing notifications: (i) No. 17/99-CC dated 23-09-1999 issued by the Office of the Commissioner of Customs, Gujarat, Ahmedabad	

			(ii)No.G/PF/1/2002/IPA/1397/G/760/ GH dated 24.05.2002 issued by Ports and Fisheries Department, Government of Gujarat. (iii)No. 03/2003 dated 7th March 2003 issued by the Office of the Commissioner of Customs (Prev.), Jamnagar. (iv)No.09/2003 dated 20th May 2003 issued by the Office of the Commissioner of Customs (Prev.), Jamnagar.	
			Total Area	2406-75-92 Hectares

[F. No. 2/11/2003-EPZ]

~~F. No. 2~~ YOGENDRA GARG, Director

ANNEXURE 'B' TO THE NOTIFICATION S.O. NO. 1365(E)

S.O. 1071(E).— Whereas M/s. Gujarat Adani Port Limited, a private organization in the state of Gujarat, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the Act) to set up a multi-product Special Economic Zone at Mundra Village, Taluka-Mundra in the state of Gujarat;

And Whereas the Central Government is satisfied that the requirements under Sub-section (8) of Section 3 of the Act and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under Sub-section (10) of Section 3 of the Act for development, operation and maintenance of the multi-product Special Economic Zone at the said Mundra Village area on the 12th April, 2006 over an area of 2658.19 hectares;

And whereas the Central Government, after being satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the Act and other related requirements were fulfilled, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Act read with rule 8 of the Special Economic zone Rules, 2006, notified the total area of 2406-75-92 hectares at Mundra in the State of Gujarat as Special Economic Zone vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide No.S.O.936(E), dated the 23rd June, 2006;

And whereas M/s. Gujarat Adani Port Limited has proposed for the tander of the approval of the said Special Economic Zone to M/s. Mundra Port and Special Economic Zone Limited and the Central Government after considering the said transfer proposal approved it and conveyed such transfer of approval on the 6th September, 2006.

Table

S. No	Name of Village/Area	Taluka	Survey No./Details	Area in Hectares
1	Mundra	Mundra	141 Paiki	251-43-08

[F. No. 2/11/2003-EPZ]

YOGENDRA GARG, Director

ANNEXURE 'C' TO THE NOTIFICATION S.O. NO. 1365(E)

S.O. 2174(E).— Whereas M/s. Gujarat Adani Port Limited, a private organisation in the State of Gujarat, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a multi-product Special Economic Zone at Mundra village, Taluka - Mundra in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the multi-product Special Economic Zone at the said Mundra village area on 12th April, 2006 over an area of 2658.19 hectares;

And whereas the Central Government, after being satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements were fulfilled, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zone Act, 2005 read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006 notified the total area of 2406-75-92 hectares and 251-43-08 hectares at Mundra in the State of Gujarat as Special Economic Zone vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 936(E) and 1071(E) dated 23rd June, 2006 and 3rd July, 2007 respectively;

And whereas M/s. Gujarat Adani Port Limited has proposed for the transfer of the approval of the said Special Economic Zone to M/s. Mundra Port and Special Economic Zone Limited and the Central Government after considering the said transfer proposal approval it and conveyed such transfer of approval on 6th September, 2006.

Table

S. No	Name of Village/Area	Taluka	Survey No./Details	Area in Hectares
1	Mundra	Mundra	141 Paiki	74-61-45

2008.9909-11

[F. No. 2/11/2003-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

ANNEXURE 'D' TO THE NOTIFICATION S.O. NO. 1365(E)

S.O. 2022(E).— Whereas M/s. Gujarat Adani Port Limited, a private organisation in the State of Gujarat, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereinafter referred to as the said Act), to set up a multi-product Special Economic Zone at Mundra village, Taluka - Mundra in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the multi-product Special Economic Zone at the said Mundra village area on 12th April, 2006 over an area of 2658.19 hectares;

And, whereas, the Central Government, after being satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements were fulfilled, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zone Act, 2005 read with rule 8 of the Special Economic Zone rules, 2006, notified the total area of 2406-75-92 hectares on 23rd June, 2006 with S.O.936 (E) and, remaining area of 251-43-08 hectares on 3rd July, 2007 with S.O. 1071(E) and additional area of 74-61-45 hectares on 24th December, 2007 with S.O. 2174(E) at Mundra in the State of Gujarat as Special Economic Zone vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry;

And, whereas, M/s. Gujarat Adani Port Limited has proposed for the transfer of the approval of the said Special Economic Zone to M/s. Mundra Port and Special Economic Zone Limited and the Central Government after considering the said

transfer proposal approval it and conveyed such transfer of approval on 6th September, 2006;

And, whereas, consequent upon the order dated 24th November, 2006 of the High Court of Gujarat for merger, all the approvals granted in the name of Mundra SEZ limited shall stand transferred in the name of Mundra Port and Special Economic Zone Limited and the Central Government conveyed such transfer of approval on 14th November, 2007;

And, whereas, Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

And, whereas, Central government approved additional land 1850-56-65 hectares and 263-22-97 hectares in the notified multi-product Special Economic Zone of Mundra Port and Special Economic Zone Limited and conveyed such approval on 13th March, 2008 and 21st May, 2008 respectively.

Table

S. No.	Name of Village/Area	Taluka	Survey No./Details	Area (in hectares)
1	Dhrub	Mundra	169 Part	105-01-93
2	Dhrub	Mundra	169 Part	16-18-80
3	Dhrub	Mundra	169/P51/P1/P3	14-16-41
4	Dhrub	Mundra	Unsurveyed Land	28-93-61
5	Zarpara	Mundra	689/7	41-92-69
6	Zarpara	Mundra	689/29	48-42-72
7	Zarpara	Mundra	689/30	24-31-16
8	Zarpara	Mundra	689/36	63-70-79
9	Zarpara	Mundra	689/47	21-04-38
10	Zarpara	Mundra	689/48	74-46-25
11	Zarpara	Mundra	689/49	70-51-68
12	Zarpara	Mundra	689/50	41-65-27
13	Zarpara	Mundra	689/52	16-19-08
14	Zarpara	Mundra	Unsurveyed Land	271-90-81
15	Zarpara	Mundra	689/P92/P2/P2	92-27-16
16	Navinal	Mundra	55/1	1-22-42
17	Navinal	Mundra	56/2	0-23-27
18	Navinal	Mundra	64/1	0-98-14
19	Navinal	Mundra	102/1	2-30-67
20	Navinal	Mundra	102/2	1-11-29
21	Navinal	Mundra	110/3	0-84-98

2008 9809-12

22	Navinal	Mundra	115/3	01-02-18
23	Navinal	Mundra	130	3-24-76
24	Navinal	Mundra	223/part	134-29-94
25	Navinal	Mundra	Unsurveyed Land	65-22-74
26	Navinal	Mundra	224 & 225 Part	93-48-29
27	Siracha	Mundra	120	2-12-46
28	Siracha	Mundra	121/1	1-16-35
29	Siracha	Mundra	121/3	1-04-21
30	Siracha	Mundra	121/4	1-95-26
31	Siracha	Mundra	125/1	1-74-02
32	Siracha	Mundra	131	2-54-95
33	Siracha	Mundra	295 Part	103-67-08
34	Siracha	Mundra	124	1-86-16
35	Siracha	Mundra	125/2	1-60-86
36	Siracha	Mundra	126	2-22-58
37	Siracha	Mundra	129	5-62-52
38	Siracha	Mundra	135	2-60-01
39	Siracha	Mundra	137	1-63-90
40	Siracha	Mundra	138/1	3-65-23
41	Siracha	Mundra	140	4-24-92
42	Siracha	Mundra	141	2-24-60
43	Siracha	Mundra	142	2-68-11
44	Siracha	Mundra	143	4-14-81
45	Siracha	Mundra	144/1	3-83-44
46	Siracha	Mundra	144/2	1-39-62
47	Siracha	Mundra	147	2-92-39
48	Siracha	Mundra	Unsurveyed Land	66-32-22
49	Siracha	Mundra	295/P6/P3	73-35-18
50	Tunda	Mundra	180/P	77-52-50
51	Tunda	Mundra	Unsurveyed Land	506-94-82
			Total	2113-79-62

[F. No. 2/11/2003-EPZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

ANNEXURE 'E' TO THE NOTIFICATION S.O. NO. 1365(E)

S.O. 1079(E).—Whereas M/s. Mundra Port and Special Economic Zone Limited, a private organization in the State of Gujarat, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a multi-product Special Economic Zone at Village Mundra, Taluka Mundra, District Kutch in the State of Gujarat;

And whereas the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the multi-product Special Economic Zone at Mundra village area on the 18th March, 2008.

Table

S. No.	Name of village	Survey number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mundra	141 Paiki	607-05-00
2.		141 Paiki	84-17-55
3.		GMB/GAPL Land (Old Bharat Salt Land)	382-95-00
Total:			1074-17-55

[F. No. 1/144/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.